AMITY UNIVERSITY

६ राष्ट्रीय हिंदी मूट कोर्ट प्रतियोगिता

२४ - २६ मार्च '२०२२

Amity Youth Fest 2022

वाद करानाक

AMITY LAW SCHOOL STUDENTS BAR FORUM | AMITY LAW SCHOOL, NOIDA SECOND TO NONE

स्टूडेंट बार फ़ोरम

वाद करानाक

1. वाद बिंदु की कहानी पटपड़गंज में केंद्रित है। यह कहानी 2006 में बम विस्फोट से शुरू होती है जिसके कारण दिल्ली में काफी अफरातफरी का माहौल था।

2. पुलिस की जांच से यह पता चला कि गगनदीप सिंह नामक व्यक्ति जिसके (कालिस्तानि जिंदाबाद फ़ोर्स) से संपर्क थे, वह भी इस घटना में शामिल था पुलिस इंस्पेक्टर अनमोल दुरेजा इस घटना की छानबीन कर रहे थे और उन्हें यह संदेह था कि गगनदीप ने यह कार्य अकेले नहीं किया तथा यह कुछ लोगों की मिली-भगत रही है।

3. गगनदीप (३४) सुपुत्र सरदार किरण सिंह, जो जम्मू कश्मीर का निवासी था, दिल्ली में दिलनेग ऑटमोबील्ज़ नाम के गराज में एक मकैनिक था। गगनदीप सिंह दिल्ली के कई गुरुद्वारे जाता रहता था।

4. गगनदीप पर पिछले 3 महीनों से पुलिस की कड़ी निगरानी चल रही थी और उसका नंबर पुलिस द्वारा लगातार टैप किया जा रहा था, जिससे यह पता चला कि गगनदीप की बहुत कम लोगों से बातचीत होती थी जिसमें दो व्यक्तियों के नाम सामने आए, एक जोगिंदर सिंह उर्फ जोगा और दूसरा व्यक्ति घनश्याम अरोड़ा था। पुलिस इन सब पर काफी समय से कड़ी निगरानी रख रही थी।

वाद करानाक

5. 3 महीने पश्चात पुलिस इंस्पेक्टर अनमोल को एक अज्ञात दूरभाष के ज़रिए से यह पता चला कि जोगा और घनश्याम एक नशीले पदार्थ (हीरोइन) की तस्करी करने की योजना बना रहे है, जो कि उस दिन शाम (7:30 बजे) पांडव नगर मदर डेरी के पास घटना को अंजाम देने वाले हैं। अनमोल दुरेजा ने उन्हें रंगे हाथों पकड़ने की सारी औपचारिकताओं को पूरा करा तथा वह कुछ पुलिस वालों के साथ घटना स्थल के लिए रवाना हो गए।

6. ठीक 7:30 बजे पुलिस ने काली पल्सर से घनश्याम को जाते हुए देखा जिसके साथ जोगा भी उसी बाइक पर काले रंग का बैग पीठ पर टांगे हुए बैठा था। मोटरबाइक गणेश नगर चौराहे पर जाकर रुक जाती है और उस मोटरसाइकिल से उतर कर जोगा अपने हाथ में लिए हुए बैग को घनश्याम के हाथ में सौंप देता है और वहां से घनश्याम बैग लेकर मदर डेयरी की तरफ बढ़ने लगता है जहां पर पहले से ही एक विदेशी व्यक्ति मौजूद था।

7. इससे पहले कि वह घटना को अंजाम देते पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस के मौके पर पहुंचते ही विदेशी व्यक्ति जो मदर डेरी के पास पहले से मौजूद था वह वहां से पुलिस के चंगुल से भागने में सफल रहा परंतु कुछ मूठ बढ़ के पश्चात पुलिस ने सफलतापूर्वक जोगेंदर और घनश्याम को अपनी गिरफ्त में ले लिया और पुलिस स्टेशन की ओर चल दिए।

वाद करानाक

8. पुलिस ने जोगिंदर सिंह के पास से एक पिस्तौल और 8 जिंदा कारतूस बरामद किए और दो पीले रंग के सील बंद लिफाफे के साथ ₹12,000 बरामद किए। और उसके साथी घनश्याम अरोड़ा के पास से दो सीलबंद लिफाफे के साथ-साथ ₹16,000 भी प्राप्त किए।

9. सारी जाच पड़ताल करने के बाद पुलिस को पता लगा कि जोगेन्दर सिंह तथा घनशाम सिंह, गगनदीप के साथ मिले हुए है, जाच पड़ताल करने पर पुलिस ने उसको भी गिरफ्तार कर लिया, उसके पास से किसी भी तरह के नसीले पदार्थ बरामद नही हुए परंतु कुछ नकली नोट मिले।

Arrest Memo

P.F No

1. **P.S & Case Reference:** पांडव नगर/101 **Date:** 27/3/2007
2. **Name and Address of the Arrestee:** जोगिंदर सिंह
3. **Date. Time & Place of Arrest:** 27/3/2007, शाम 7:30, पांडव नगर
4. **Name & Designation of Officer affecting arrest:** हरभजन सिंह, सब इंस्पेक्टर
5. **Ground of the arrest:** स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम अनुभाग 21(ग) और 29, भारतीय दण्ड संहिता अनुभाग 489ग और 120(ख), आयुध अधिनियम अनुभाग 25
6. **Place of Detention** पुलिस चौकी पांडव नगर
7. **Details of injuries notice on the body of the arrestee at the time of arrest:** कोई नहीं
8. **Serious ailment of disease if any:** कोई नहीं

Arrest Memo

P.F No

1. **P.S & Case Reference:** पांडव नगर/101 **Date:** 27/3/2007
2. **Name and Address of the Arrestee:** घनश्याम सिंह
3. **Date. Time & Place of Arrest:** 27/3/2007, शाम 7:30, पांडव नगर
4. **Name & Designation of Officer affecting arrest:** राजेश सिंह, सब इंस्पेक्टर
5. **Ground of the arrest:** स्वापक औषधि और मन: प्रभावी पदार्थ अधिनियम अनुभाग 21(ग) और 29, भारतीय दण्ड संहिता अनु-भाग 489ग और 120(ख)
6. **Place of Detention**
7. **Details of injuries notice on the body of the arrestee at the time of arrest:** कोई नहीं
8. **Serious ailment of disease if any:** कोई नहीं

FIRST INFORMATION REPORT

(Under Section 154 Cr.P.C)

Dist: परपरगंज, दिल्ली P.S: स्पेशल सेल Year: 2007

F.I.R. No: 18 Date: २३/३/२००७

1. Acts and Sections
   I. न.डी.पी.एस अधिनियम, धारा २१, ६१, ८५
   II. आयुध अधिनियम, 1959 धारा 25, 54, 59

2. Occurrence of Offence:
   a) Day: शुक्रवार Date From: २३/३/२००७
   b) Date to Time Period time from: शाम के ७◌:३० बजे
   c) Information Received at P.S
      Date: २३/३/२००७ Time: रात के १०◌:५० बजे
   d) Daily dairy Reference: Entry No. ९ आ, १२ आ
      Time: रात के १०:५० बजे

4.Type of information: लिखित

5.Place of occurrence
   a) Direction and Distance from P.S: 10 किलोमीटर
   b) Address: पटपड़गंज रोड, गणेश नगर चम्बरी के पास, दिल्ली
   c) In case outside limit of this Police Station, then the name of P.S.

6.Complainant / informant:
   a) Name: सीनियर इंस्पेक्टर हरबीर सिंह
   b) Nationality: भरतिया
   c) Telephone: 9818606187
   d) Occupation: दिल्ली पुलिस

e) Address: सेप्शल सेल, रोहिनी, दिल्ली

7. Details of known I suspected I unknown I accused with full particulars (Attach separate sheet if necessary):

1. जोगेन्दर सिंह, उर्फ जोगा

S/o सरदार बालू सिंह

R/o गंगा विहार, गोकुल धाम, दिल्ली

2. घनश्याम अरोरा

S/o माधव अरोरा

R/o रोहिणी, दिल्ली

8.Reasons for delay in reporting by the complainant /Informant -

9. Action taken (since the information reveals commission of offence) u/s mentioned in item no.2.

(i) Registered the case and took, up investigation

(ii) Directed (Name of the IO) उपकार सोलंकी

PIS No. ८८१ Rank: सब इंस्पेक्टर OR

(iii) Refused investigation due to OR

(iv)Transferred to P.S (Name)

On point of jurisdiction District:

F.I.R. read over to the Complainant / Informant, admitted to be correctly recorded and a copy given to the Complainant / Informant, free of cost.

FORM – IF4 - (Integrated Form)

PROPERTY SEIZURE MEMO

(search / production / recovery u/s ....)

1. *Dist दिल्ली *P.S [illegible] *Year 2007 *FIR No. / GD No. 18 *Date 23/03/07
2. Acts and sections 102 आपराधिक प्रक्रिया संहिता
3. * Name of property seized / received : Stolen/Unclaimed/Unlawful possession / Others: ....
4. Property seized / received. (a) Date 23/03/07 (b) Time 8:00 शाम

   (c) Address of place from where seized / recovered पाण्डव नगर मदर डेरी के पास।

   (d) Description of the place of seizure / recovery: मदर डेरी के पास
5. Person from whom seized / recovered.

   Name जोगेन्द्र सिंह Father's/Husband's Name स्वर्गीय लाल सिंह

   Age 32 Occupation बिजलीवाला Address: राजा विहार, गोकुल ग्राम दिल्ली
6. Witnesses:

   (i) Name: .... Father's/Husband's Name ....

   Age .... Occupation: .... Address: ....

   (ii) Name: .... Father's/Husband's Name ....

   Age .... Occupation: .... Address: ....
7. Action taken/recommended for disposal of perishable property: ....
8. Action taken / recommended for keeping of valuable property: ....
9. Identification required: Yes / ~~No~~
10. Details of properties seized / recovered: Use prescribed form(s) and attach.

Scanned with CamScanner

DETAILS OF CULTURAL PROPERTY SEIZED / RECOVERED / STOLEN/INVOLVED

* Dist. दिल्ली * PS [illegible] * Year 2007 * FIR No. 12 Date 23/03/07

Sl No.	Type	Material used	Nomenclature	Height Cms-Mms	Breadth Cms-Mms	Depth Cms-Mms	Weight Kgms-Gms	Age AD/BC	Estimated value (in Rs.)	Special feature 1	Special feature 2	Special feature 3	#STO/REC/SEI/INV	Photograph selected or not
1	*2	*3	*4	*5	*6	*7	*8	*9	*10	*11	*12	*13	*14	*15
①	थेला	कपड़ा		12cm	10cm	4cm	5[illegible]	/	2000	नहीं	[illegible]	नहीं		[illegible]

#STO – Stolen, REC – Recovered, SEI – Seized, INV – Involved

Signature of Investigating Officer

Scanned with CamScanner

DETAILS OF AUTOMOBILE SEIZED / RECOVERED / STOLEN / INVOLVED

* Dist. दिल्ली * PS स्पेशल सेल * Year 2007 * FIR No. 18 Date 25/02/07

Type of automobile	*Estimated value	*Make	*Colour	*Model (year)	*Regd. No.	*Chassis No.	*Engine No.	*STO/Rec Sei/Inv	*Belonging to [illegible]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
बाइक	70,000/-	2000	काला	2000	1826	1545	1824		[illegible]

#STO – Stolen, REC – Recovered, SEI – Seized, INV – Involved

Signature of Investigating Officer

*Dist: दिल्ली *PS: [illegible] *Year: 2007 *FIR No. 17 Date: 23/03/07

Sl. No.	Number of pieces	Series	Serial Number	Type of currency	Denomination
1	*2	*3	*4	*5	*6
1	[illegible] 17 नग	1821	9415176672	भारतीय	₹1000

Signature of Investigating Officer

DETAILS OF NARCOTIC DRUGS SEIZED / RECOVERED

*Dist: दिल्ली *PS: [illegible] *Year: 2007 *FIR No. 18 Date: 23/03/07

Sl. No.	Name of the drug	No. of packets	Weight in Kgms	Description of the packing & marking if any	Method of concealment	Estimated value (in Rs.)
1	*2	*3	*4	*5	*6	*7
1	हेरोइन	2	1 किलो	[illegible]		15,00,000/-

Signature of Investigating Officer

Signature of Magistrate when present ....

Scanned with CamScanner

11 Circumstances / grounds for seizure गिरफ्तारी के उपरान्त

12 The above mentioned properties were seized in accordance with the provisions of law in the presence of the above said witnesses / ** and a copy of the seizure memo was given to the person / the occupant of the place from whom seized

13 The following properties were packed and / or sealed and the signature of the about said witnesses obtained thereon or on the body of the property

Sl. No.	Property	Signature obtained on the packet or on the body of the property
1	2	3

Specimen of the seal is given below

Witness-1

....

Signature

Signature of the Investigating Officer
Name [illegible]
Rank .... No 12
Place पालिकानगर Date 27/03/07

Witness-2

....

Signature

** In case the property is seized from such a place that no receipt is required to be given to anybody, this portion of the sentence should be struck off.

Scanned with CamScanner

FORM – IF4 - (Integrated Form)

PROPERTY SEIZURE MEMO

(search / production / recovery u/s ....)

1. *Dist दिल्ली *P.S ओशलनेस *Year 2007 *FIR No. / GD No. 18 *Date 23/03/07

2. Acts and sections 102 आपराधिक प्रक्रिया संहिता

3. * Name of property seized / received : Stolen/Unclaimed/Unlawful possession / Others

4. Property seized / received: (a) Date 23/03/07 (b) Time 8:10 शाम को

   (c) Address of place from where seized / recovered पारस नगर, मदर डेरी के पास।

   (d) Description of the place of seizure / recovery मदर डेरी के पास

5. Person from whom seized / recovered

   Name: घनश्याम अरोड़ा ... Father's/Husband's Name माधव अरोड़ा

   Age: 31 ..... Occupation: फलविक्रेता Address: नोइडा, दिल्ली

6. Witnesses:

   (i) Name: .... Father's/Husband's Name ....

   Age .... Occupation. .... Address: ....

   (ii) Name: .... Father's/Husband's Name ....

   Age .... Occupation: .... Address: ....

7. Action taken/recommended for disposal of perishable property: ....

8. Action taken / recommended for keeping of valuable property: ....

9. Identification required: Yes /No

10. Details of properties seized / recovered: Use prescribed form(s) and attach.

Scanned with CamScanner

DETAILS OF CULTURAL PROPERTY SEIZED / RECOVERED / STOLEN/INVOLVED

* Dist दिल्ली * PS स्पेशल सैल *Year 2007 * FIR No. 18 Date 23/03/07

Sl No.	Type	Material used	Nomenclature	Height Cms-Mms	Breadth Cms-Mms	Depth Cms-Mms	Weight Kgms-Gms	Age AD/BC	Estimated value (in Rs.)	Special feature 1	Special feature 2	Special feature 3	#STO/ REC/ SEI/INV	Photograph collected or not
1	*2	*3	*4	*5	*6	*7	*8	*9	*10	*11	*12	*13	*14	*15

#STO – Stolen, REC – Recovered, SEI – Seized, INV – Involved.

Signature of Investigating Officer

Scanned with CamScanner

DETAILS OF AUTOMOBILE SEIZED / RECOVERED / STOLEN / INVOLVED

* Dist दिल्ली * PS सैपेशल सैल *Year 2007 * FIR No 18 Date 23/03/07

Type of automobile	*Estimated value	*Make	*Colour	*Model (year)	*Regd No.	*Chasis No	*Engine No	*STO/Rec/ Sei/Inv	*Belonging to victim / accused
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			कुछ नहीं						

#STO - Stolen, REC - Recovered, SEI - Seized, INV - Involved

Signature of Investigating Officer

Scanned with CamScanner

* Dist दिल्ली * PS ज्योतिनगर * Year 2007 * FIR No. 18 Date 23/03/07

Sl. No.	Number of pieces	Series	Serial Number	Type of currency	Denomination
1	*2	*3	*4	*5	*6
1	16 (सोला)	18?1	3415176672	भारतीय	₹ 1000

Signature of Investigating Officer

DETAILS OF NARCOTIC DRUGS SEIZED / RECOVERED

* Dist दिल्ली * PS ज्योतिनगर * Year 2007 * FIR No. 18 Date 23/03/07

Sl. No.	Name of the drug	No. of packets	Weight in Kgms.	Description of the packing & marking if any	Method of concealment	Estimated value (in Rs.)
1	*2	*3	*4	*5	*6	*7
1	हिरोइन	2	1 किलो	काली पन्नी और पीले टेप से लिपटा हुआ	टेन्ट में	15,00,000/-

Signature of Investigating Officer

Signature of Magistrate when present: नहीं

Scanned with CamScanner

11. Circumstances / grounds for seizure [illegible]

12. The above mentioned properties were seized in accordance with the provisions of law in the presence of the above said witnesses ** and a copy of the seizure memo was given to the person / the occupant of the place from whom seized.

13. The following properties were packed and / or sealed and the signature of the above said witnesses obtained thereon or on the body of the property.

Sl. No.	Property	Signature obtained on the packet or on the body of the property
1	2	3

Specimen of the seal is given below

Witness 1

Signature

Signature of the Investigating Officer
Name [illegible]
Rank No. [illegible]
Place [illegible] Date 23/[illegible]/[illegible]

Witness 2

Signature

** In case the property is seized from such a place that no receipt is required to be given to anybody, this portion of the sentence should be struck off.

Scanned with CamScanner

कथन

आरोपी 1

- आरोपी 1ने मोटरसाइकिल पर मौके पर आने या वर्तमान मामले में गिरफ्तारी से पहले आरोपी 2को जानने से भी इनकार किया।
- उन्होंने बताया कि 23 मार्च 2007 को शाम 5.30 बजे उन्हें फरीदाबाद में पुलिस ने जबरन उठा लिया और पुलिस अधिकारियों ने उन पर प्रतिबंधित सामग्री और हथियार डाल दिए।
- उसने दावा किया कि जब वह अपनी पत्नी के साथ बाजार में था, और आठ साल की बेटी, अभियोजन गवाह-1 और: अन्य पुलिस अधिकारियों ने उसे रोका और उसे अपने जिप्सी वाहन में साथ चलने के लिए कहा।
- पीडब्ल्यू I और अन्य पुलिस अधिकारियों ने उसे जिप्सी में धकेल दिया और उसके हाथों को रस्सी से बांध दिया और उसके चेहरे को कपड़े से ढक दिया।
- पुलिस अधिकारियों ने उसे एक निजी वैगन आर में स्थानांतरित करने का प्रयास किया जिसमें आरोपी 2और पीडब्ल्यू-17 पहले से बैठे थे।
- आरोपी 1ने एनडीपीएस अधिनियम की धारा 50 के तहत किसी भी कानूनी अधिकार से अवगत होने से इनकार किया। उन्होंने दावा किया कि उन्हें पुलिस अधिकारियों ने पीटा था जिन्होंने उन्हें नोटिस पर लिखने के लिए मजबूर किया था। उसने इस बात से इनकार किया कि उसके पास से कोई प्रतिबंधित पदार्थ या पिस्टल बरामद किया गया है। उन्होंने हेरोइन और नकली करेंसी की किसी भी बरामदगी से इनकार किया।
- उसने दावा किया कि उसके पास से कोई मोबाइल फोन या आरोपी 2बरामद नहीं हुआ है।
- उन्होंने दावा किया कि उनकी उपस्थिति में, अभियोजन गवाह-17 द्वारा कोई साइट प्लान तैयार नहीं किया गया था और किसी भी मोटरसाइकिल को कब्जे में नहीं लिया गया था।
- उन्होंने सेल फोन ट्रांसक्रिप्ट का हिस्सा होने से इनकार किया और इनकार किया कि रिकॉर्ड की गई फोन बातचीत में सुनाई देने वाली आवाज उनकी थी।
- उन्होंने दावा किया कि अभियोजन गवाह 1 ने उन्हें मामले में झूठा फंसाया है क्योंकि उन्होंने एक बार अभियोजन गवाह1 के चचेरे भाई (एसआई ओमबीर सिंह) के खिलाफ बयान दिया था, जिसके बाद अभियोजन गवाह1 के चचेरे भाई को पुलिस से बर्खास्त कर दिया गया था।
- 11 जुलाई 2013 को अतिरिक्त बयान, उसके पास से कोई मोबाइल बरामद नहीं हुआ।

आरोपी 2

- उसने दावा किया कि वह कभी भी खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स (KZF) का सदस्य नहीं था।
- उसने दावा किया कि वह आरोपी 1 को नहीं जानता था।
- उसने दावा किया कि उसने गुरुद्वारा शीश गंज में सेवादार के रूप में काम किया।

- उसने दावा किया कि मोटरसाइकिल उसकी थी, लेकिन पुलिस ने 23 मार्च 2007 को दोपहर करीब 2:30 बजे गुरुद्वारा शीश गंज के बाहर जबरन उठा लिया।
- उन्होंने दावा किया कि एक अन्य सेवादार (डीडब्ल्यू-2) की उपस्थिति में, एसआई रमेश शर्मा ने उनसे कहा कि 'साहेब' उनसे बात करना चाहते हैं।
- उसने कहा कि वह मोटरसाइकिल पर आरोपी 1 लेकर नहीं आया था।
- उसने दावा किया कि उसे 23 मार्च 2007 को दोपहर करीब 2:30 बजे गुरुद्वारा शीश गंज के बाहर पुलिस ने जबरन उठा लिया था।
- उसने दावा किया कि केवल इसलिए कि उसने उक्त गुरुद्वारे में एक व्यक्ति को कमरा दिया था, जिसे बाद में आतंकवादी पाया गया, उसे बम विस्फोट के दो मामलों में झूठा फंसाया गया।
- उसने दावा किया कि उसे एसआई रमेश शर्मा द्वारा जबरदस्ती एक वैगन-आर कार में दावा किए गए अपराध स्थल पर ले जाया गया था। अभियोजन गवाह17 के साथ एसआई रमेश भी थे।
- उन्होंने कहा कि अभियोजन द्वारा बताए गए तरीके से उन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया था; 'न ही उन्हें मजिस्ट्रेट या राजपत्रित अधिकारी के समक्ष खुद की तलाशी लेने के उनके कानूनी अधिकारों से अवगत कराया गया था।
- उसने दावा किया कि उसे बेरहमी से पीटा गया और धारा 50 के नोटिस पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया गया।
- उसने इस बात से इनकार किया कि उनके पास से कोई प्रतिबंधित/नकली मुद्रा बरामद हुई है। उन्होंने किसी भी मोबाइल फोन की बरामदगी से इनकार किया।
- उसने दावा किया कि उसकी उपस्थिति में आरोपी 1से कोई मोबाइल फोन बरामद नहीं किया गया।
- उसने दावा किया कि अभियोजन गवाह-17 द्वारा कोई साइट प्लान तैयार नहीं किया गया था और उनकी उपस्थिति में किसी भी मोटरसाइकिल को कब्जे में नहीं लिया गया था।
- उसने दावा किया कि वह A3 को केवल A3 के गुरुद्वारा के दौरे के माध्यम से जानता था।
- उसने स्वीकार किया कि उसके पास से मोबाइल नंबर 9999579926 बरामद किया गया था, लेकिन उसका ए3 से संबंधित मोबाइल फोन से कोई लेना-देना नहीं था।
- उसने दावा किया कि उन्होंने मोबाइल नंबर 9.871060613 और 9910117964 के सिम कार्ड का उपयोग नहीं किया था। 11 जुलाई 2013 को आरोपी 2का एक अतिरिक्त बयान दर्ज किया गया था जहां उन्होंने सभी इंटरसेप्टेड कॉलों की सत्यता से इनकार किया था।

आरोपी 3

- उसने कहा कि उन्होंने मोबाइल नंबर 9876933745 का इस्तेमाल किया लेकिन उसके बाद कहा कि उन्होंने कभी भी उक्त मोबाइल फोन का इस्तेमाल नहीं किया था और वह नकली नोटों, ड्रग्स, हथियारों और गोला-बारूद का कारोबार नहीं कर रहे थे।

- उसने कहा कि वह आरोपी 1को नहीं जानता था लेकिन आरोपी 2को जानता था जो एक सेवादार था।
- उसने दावा किया कि उसके पास से कोई मोबाइल फोन बरामद नहीं हुआ है।
- उसने कहा कि उन्हें मोबाइल फोन पर बातचीत के इंटरसेप्शन के बारे में कोई जानकारी नहीं थी।
- उसने दावा किया कि उसके हस्ताक्षर कई खाली और लिखित दस्तावेजों पर जबरन लिए गए थे और अगर वह हस्ताक्षर करने से इनकार करता था तो पुलिस अधिकारी उसे पीटते थे।
- उसने दावा किया कि जिन सीडी और डीवीडी में कॉल रिकॉर्डिंग सेव की गई हैं, उनके साथ छेड़छाड़ की गई है ।

1. डॉ. आनंद कुमार (डी.डब्ल्यू-1)

• चिकित्सा अधिकारी, जेल

• वह ए-2 के पहले मेडिकल जांच रिकॉर्ड की सत्यापित प्रति लेकर आए।

• ए-2 ने शिकायत की थी कि उसे पुलिस ने पीटा है। जांच करने पर "पीठ के बाईं ओर पैटर्न के घाव पाए गए, और उन्हें दर्द के लिए दवा दी गई।"

(हालांकि, अभियोजन निचली अदालत को यह समझाने में सक्षम था कि चोट के निशान गलत तरीके से दर्ज किए गए थे।)

2. परगट सिंह (डी.डब्ल्यू-2)

• गुरुद्वारा में सेवादार के रूप में कार्य करना।

• उनकी मौजूदगी में एसआई रमेश शर्मा ने ए2 को बताया कि 'साहेब' उनसे मिलना चाहते हैं।

• उसने दावा किया कि उसे अन्य सेवादारों ने बताया था कि ए2 की गिरफ्तारी के बाद उसके भाई और पिता ने ए2 की बाइक ले ली थी। यह पाया गया कि वे लोग A2 के भाई और पिता नहीं थे, बल्कि पुलिस अधिकारी थे।

• अपनी जिरह के दौरान डी.डब्ल्यू 2 ने कहा कि उसने कुछ पुलिस अधिकारियों द्वारा ए-2 की मोटरसाइकिल ले जाने के बारे में पुलिस को कोई शिकायत नहीं की थी।

3. एस.के. जैन, उप. निदेशक, सीएफएसएल, चंडीगढ़ (डी.डब्ल्यू-3)

• डी.डब्ल्यू-3 ने स्पष्ट किया कि हालांकि ए-1 के आरटीआई आवेदन के जवाब में, यह कहा गया था कि सीएफएसएल चंडीगढ़ के किसी भी अधिकारी ने रियाल कोर्ट में भाग नहीं लिया था, उन्होंने कहा कि वह 12 जनवरी 2009 को ट्रायल कोर्ट में पेश हुए थे। आवाज का नमूना रिकॉर्ड करने के लिए।

• A-1, DW-3 के वकील द्वारा अपनी जिरह में कहा गया कि उन्हें CFSL, चंडीगढ़ द्वारा अधिकृत और निर्देशित किया गया था की 12 जनवरी 2009 को विद्वान ट्रायल कोर्ट में पेश होना है।

4. दीपक (डी.डब्ल्यू-4)

• नोडल अधिकारी जो समन रिकॉर्ड, वोडाफोन दिल्ली सेल आईडी चार्ट की एक प्रति) और मोबाइल नंबर 9811***172 से संबंधित विवरण लाए थे। उक्त मोबाइल फोन 15 मार्च 2007 तक काम कर रहा था। उसके बाद यह काम नहीं कर रहा था।

• डीडब्ल्यू-4 ने मोबाइल नंबर 9873***607 से संबंधित रिकॉर्ड भी लाए जिससे पता चला कि 23 तारीख तक फोन काम कर रहा था। मार्च 2007 दिल्ली सर्कल में।

5. डॉ. आनंद कुमार चोपड़ा (डीडब्ल्यू 5)

• चिकित्सा अधिकारी, केंद्रीय जेल-1, तिहाड़ (फरवरी, 2013 में शामिल हुए)

• वह 4 अप्रैल 2007 को तैयार किया गया ए-1 का मेडिकल रिकॉर्ड लेकर आया।

• ए1 ने शिकायत की थी कि 2 अप्रैल 2007 को उसे पुलिस ने पीटा था और उसकी पूरी पीठ में दर्द था।

• अपनी जिरह में, वह यह नहीं बता सका कि किस चिकित्सक ने ए-1 की जांच की क्योंकि वह 4 जुलाई 2007 को तिहाड़ में काम नहीं कर रहा था। वह यह अनुमान लगाने में असमर्थ था कि ए-1 को चोट कैसे लग सकती थी।

6. हेड कांस्टेबल संजीव (DW-6)

• वह वर्ष 2007 का मालखाना रजिस्टर नं.19 और उसी वर्ष का दैनिक डायरी रजिस्टर लेकर आए।

• उन्होंने बताया कि वर्ष 2007 के ड्यूटी रोस्टर के संबंध में रजिस्टर को दो साल की अवधि के भीतर नष्ट कर दिया गया था।

• वह 23 मार्च 2007 को सुबह 7:00 बजे से 24 मार्च 2007 को सुबह 7 बजे तक की अवधि के लिए दैनिक रजिस्टर लाया था।

1. एसआई हरबीर सिंह (PW-1)

- • अपने जिरह में किसी भी पुलिस को जानने से इनकार किया। ओमबीर सिंह के नाम से आधिकारिक (जैसा कि A1 द्वारा दावा किया गया है)।
- • उन्होंने कहा कि 2005 में लिबर्टी और सत्यम सिनेमाज में हुए बम विस्फोटों के बाद संदिग्धों के मोबाइल फोन को निगरानी में रखा गया था।
- • उन वार्तालापों को सुनने के लिए उन्हें 1 नियुक्त किया गया था।

• उस प्रक्रिया में: पीडब्लू-1 को पता चला कि ए-3 नकली मुद्रा, ड्रग्स, हथियार और गोला-बारूद की आपूर्ति के रैकेट में शामिल था और वह ए-1 और ए-2 को ड्रग्स की आपूर्ति करता था। PW-1 ने अपने ऑपरेशन को गुप्त रखकर PW-16 को कुछ तथ्य बताए।

PW-2, PW-9 और PW-15 ने CDRs को यह दिखाने के लिए साक्ष्य प्रदान किया कि A-1 और A2 भी एक दूसरे के साथ और A-3 के निरंतर संपर्क में थे।

2. उच्च न्यायालय राम किशन (पीडब्ल्यू-11)

• पीडब्लू-11 ने इसकी पुष्टि की और कहा कि उसने नमूने एफएसएल रोहिणी के पास जमा करा दिए हैं।

3. डॉ. मधुलिका शर्मा (PW-14)

• एफएसएल विशेषज्ञ।

• समझाया गया कि विश्लेषण के लिए प्राप्त नमूनों का रंग, जो क्रीम रंग का था, नमी के कारण भूरे रंग में बदल सकता है।

• चार नमूनों में डायसेटाइलमॉर्फिन के प्रतिशत से पता चला कि ये व्यावसायिक मात्रा के थे।

• पीडब्लू-14 ने पुष्टि की कि उसे रासायनिक परीक्षण के लिए एफएसएल फॉर्म और नमूना सील छाप एचएस और पीएनसी के साथ चार सीलबंद पार्सल प्राप्त हुए हैं।

4. इंस्पेक्टर उपेंद्र सोलंकी (PW-17)

• पीडब्लू-17 ने कहा कि उन्हें अपने पेन ड्राइव में डेटा कॉपी करने के लिए हरबीर सिंह द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया के बारे में कोई व्यक्तिगत जानकारी नहीं थी।

• उसे कोई व्यक्तिगत जानकारी नहीं थी कि क्या हरबीर सिंह पेन ड्राइव में डेटा से छेड़छाड़ या हेरफेर कर सकता था।

• उन्होंने उपेंदर नाम से एक फोल्डर बनाया और मैंने पेन ड्राइव से डेटा उक्त फोल्डर में स्टोर किया। यह वह फोल्डर था जो पासवर्ड से सुरक्षित था न कि कंप्यूटर।

I. २९, ६१, ८५ न•डी•पी•एस अधिनियम

II. २५, ५४, ५९ आयुध अधिनियम

III. ४८९B , ४८९C भारतीय दंड संहिता

Brief facts of the case are that:

मामले के संक्षिप्त तथ्य

दिनांक: २३.०३.२००७

इंस्पेक्टर अनमोल दुरेजा को एक अज्ञात दूरभाष पर सूचना प्राप्त हुए की, जोगेन्दर सिंह तथा घनशाम अरोरा के साथ मिलकर कुछ नशीले पदार्थो की तस्करी करने वाले है, जो कि उसी शाम ७:३० बजे पांडव नगर में मदर डेरी के पास होगी।

इंस्पेक्टर अनमोल दुरेजा ने सूचना का समर्थन करने के बाद एसीपी, स्पेशल सैल के साथ इस पर चर्चा की।

एसीपी साहब के निर्देश पर इंस्पेक्टर अनमोल दुरेजा ने एक टीम गठित की जिसमें एस.आई हरबीर सिंह, एस.आई रमेश शर्मा, एस.आई रणबीर सिंह, एस.आई किशन लाई, एच.सी सुरेश चंद, एच.सी रमेश कुमार, सि.टी अनिल कुमार, सी.टी अजय कुमार, सि.टी हवा सिंह, तथा सि.टी ओमप्रकाश मौजूद थे।

इंस्पेक्टर अनमोल दुरेजा के निर्देश में पुलिस टीम सरकारी जिप्सी नंबर DL-2b F436 जो कि एच.सी जगमल द्वारा चलाई जा रही थी, जेसमे वे घटना स्थल के लिए रवाना हुए।

रास्ते में 'आई मुकरबा चौक' पर एसआई हरबीर ने 2 - 3 राहगीरों को घटना की जानकारी दी और छापेमारी में शामिल होने के लिए कहा लेकिन वे इस छापे मैं शामिल नही होना चाहते थे।

पुलिस टीम मदरडेरी पहुंची।

एस.आई हरबीर ने फिर दो-तीन लोगों से टीम में जुड़ने के लिए पूछा किंतु सब अपने रास्ते, बिना कोई अता-पता बताए चले गए।

लगभग 7:30 बजे एक पल्सर मोटरसाइकिल नंबर DL- 5S-BY-2456, पटपड़गंज रोड, गणेश नगर चौराहे के पास स्थित एक सार्वजनिक शौचालय के पास रुकी।

मोटरसाइकिल जोगेन्दर सिंह –(S/o R/o) द्वारा चलाई जा रही थी।

उसके पास एक काले रंग का बस्ता था जो कि उसने अपने कंधों पर लिया हुआ था, उस बस्ते में से उसने एक काली थैलि निकाली और अपने पीछे बैठे घनशाम अरोरा– (S/o R/o) के हाथ में दी।

जोगेन्दर सिंह मोटरसाइकिल के पास ही थे और घनशाम अरोरा गणेश नगर चौराहे पर खड़े थे।

एस.आई हरबीर सिंह ने सि.टी अजय कुमार की सहायता से घनशाम अरोरा को पकड़ा जिसके दाहिने हाथ में काली थैलि थी।

एस.आई हरबीर सिंह ने घनशाम अरोरा को इस संदर्भ में जानकारी दी और उसे एन.डी.पी.एस अधिनियम धारा 50 के तहत नोटिस दिया।

एस.आई हरबीर सिंह ने घनशाम अरोरा को यह जानकारी भी दी कि वे मजिस्ट्रेट या राजपत्रित अधिकारी के समक्ष तलासी ली जा सक्ती है। उसे यह भी बताया गया कि वह अपनी तलाशी से पहले खोजबीन कर रही पुलिस की भी तलाशी ले सकता है, परंतु घनशाम अरोरा ने नोटिस की कार्बन कॉपी नही ली। उसने किसी मजिस्ट्रेट या राजपत्रित अधिकारी के सामने उपस्थित होने से भी इनकार किया।

घनशाम अरोरा के पास जो काली थैलियां थी जिस पर " सीजी चॉइस गारमेंट्स एक्सक्लूसिव मेनल इयर स्टॉल नंबर 79, गफ्फार बाजार, करोल बाग, नई दिल्ली, दूरभाष: 2574 7812 " की नीले व पीले अक्षरों में छपाई थी, उसकी जांच की गई।

थैलि में दो पैकेट थे जो पीले रंग के टेप में लिपटे हुए थे।

इसके उपरांत एस.आई रमेश शर्मा तथा एच.सी राम कुमार ने जोगिंदर सिंह उर्फ जोगा (s/o) को हिरासत में लिया।

जोगिंदर सिंह उर्फ जोगा को एन.डी.पी.एस अधिनियम धारा 50 के संदर्भ में जानकारी दी और उसे धारा 50 के तहत नोटिस भी दिया। उसे यह जानकारी भी दी कि उसकी मजिस्ट्रेट या राजपत्रित अधिकारी के समक्ष तलाशी ली जा सक्ती है। उसे यह भी बताया गया कि वह अपनी तलाशी से पहले खोजबीन कर रही पुलिस की भी तलाशी ले सकता है, परंतु जोगिंदर सिंह ने नोटिस की कार्बन कॉपी नही ली। उसने किसी मजिस्ट्रेट या राजपत्रित अधिकारी के सामने उपस्थित होने से भी इनकार किया।

जोगिंदर सिंह की पीठ से एक काला बस्ता बरामद किया गया, वह जिस बाइक पर बैठ हुआ था उसके टंकी पर कालिस्तान ज़िंदाबाद फोर्स का निशान बना हुआ था। बस्ते को खोल कर उसकी जांच की गई। उसके अंदर दो पीले रंग के टेप से लिपटा हुए पैकेट थे। पैकेट के अंदर पिंडली रंग का पाउडर था जो कि जोगिंदर सिंह द्वारा हीरोइन बताया गया।

चारों पैकेट का वजन तोलयंत्र से तोला गया गया, प्रत्येक पैकेट का वजन 1 किलोग्राम था।

प्रत्येक पैकेट पर हल्के पिंडली रंग के पाउडर थे और चारों को अलग - अलग प्लास्टिक के पारदर्शी जार में रखा गया। नमूनों को क्रमांक एक से चार भी दिया गया।

उसके बाद एस.आई रमेश शर्मा ने जोगिंदर सिंह @ जोगा की सरसरी तलाशी ली और एक पिस्तौल बरामद की जोकि उसकी पेंट की बाईं ओर से प्राप्त हुई।

पिस्तौल को अलग करके चेक किया गया और 8 जिंदा कारतूस पिस्तौल की मैगजीन से प्राप्त किए गए। एस.आई कबीर सिंह ने बरामद पिस्तौल, मैगजीन और कारतूस का एक स्केच तैयार किया।

पिस्तौल पर एक " CAI -3D MOUSER AS CHINA BY NORINCON " का निशान था।

बरामद की गई पिस्तौल मैगजीन और कारतूस एक कपड़े के पुलिंदे में रखे गए। कपड़े के पुलिंदे को सील किया गया तथा एफ.एस.एल फॉर्म भी भरा गया ।

दोनों पैकेट से प 5 ग्राम हेरोइन सैंपल के रूप में निकाल दी गई थी और पारदर्शी प्लास्टिक के जार में रखी गई ।

बाकी बचे हुए हीरोइन को एक कपड़े के पुलिंदे में अलग से रखा गया और सील भी किया गया। बरामद किए गए काले बस्ते को भी कपड़े के पुलिंदे में रखकर सील किया गया। स्पेशल फॉर्म तत्काल स्थान पर भरा गया|

सभी सैंपल एफ.एस.एल फॉर्म जब्ती ज्ञापन के माध्यम से पुलिस के कब्जे में ले लिए गए। केस प्रॉपर्टी ,जब्ती ज्ञापन व एफ.एस.एल फॉर्म इंस्पेक्टर अनमोल दुरेजा के हवाले कर दिए गए ।

एसपी सोलंकी ने घनशाम अरोरा व जोगिंदर सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया।

दोनों आरोपियों की व्यक्तिगत खोज का आयोजन किया गया।

PERSONAL SEARCH:

₹1000 मूल्य वर्ग के 12 नोट जोगिंदर सिंह की व्यक्तिगत खोज में पाए गए।

₹1000 रुपए मूल्य वर्ग के 16 नोट घनशाम अरोरा की निजी तलाशी में बरामद किए गए।

उनकी प्रकृति करण विवरण के अनुसार बरामद मुद्रा के नोट नकली थे ।

मुद्रा नोट जब्ती ज्ञापन व एफ.एस.एल फॉर्म के जरिए जप्त किए गए।

ऐसा ही उपेश सोलंकी ने धारा 161 सी.आर.पीसी के तहत रिकॉर्ड किया। जांच के दौरान धारा 57 एन.डी.पी.सी एस के तहत रिपोर्ट वरिष्ठ अधिकारियों को भेजी गई।

जब्त मोटरसाइकिल ब्लैक पल्सर नंबर DL-5S-BY-2456 परिवहन प्राधिकरण के अनुसार गगनदीप सिंह के नाम पर पाई गई।

मोबाइल फोन नंबर

987****0613 (IMEI NO.3553610****5245), 999****9926 (IMEI NO. 3507001****8921) की कॉल डिटेल गगनदीप सिंह के पास से जब्त की गई अथवा मोबाइल नंबर 981****8172 , 97****6607 (IMEI NO. 35454001****62333), जोगिंदर सिंह से जब्त किया गया।

कॉल डिटेल बरामद होने से पता चलता है कि दोनों आरोपी लगातार एक दूसरे के संपर्क में थे।

इन मोबाइल नंबरों के कॉल डिटेल रिकॉर्ड को हाइलाइट किया गया।

DRUG REPORT

बरामद ड्रग्स के बारे में एफ.एस.एल रोहिणी से विशेषज्ञ राय प्राप्त की गई।

जोगिंदर सिंह से प्राप्त हुई ड्रग्स में उच्च प्रतिशत का डाईसेटी मौरफीन पाया गया, बरामद हथियार, गोला बारूद आर्म्स एक्ट 1959 में परिभाषित किया गया व बरामद करेंसी नोट नकली पाए गए।

जोगिंदर सिंह को 2 किलोग्राम हीरोइन व अवैध हथियार और नकली हिंदुस्तानी करेंसी रखने के तहत धारा 21, 29, 61, 68 एन.डी.पी.एस तथा धारा 25, 59, 498 (अपठनीय) शस्त्र अधिनियम के अंतर्गत चार्ज किया गया।

घनश्याम अरोड़ा को एनडीपीएस अधिनियम की धारा 21 और 29 तथा भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 489 सी तथा 120(8) के तहत चार्ज किया गया।

गगनदीप सिंह को एनडीपीएस अधिनियम की धारा 21 और 29 तथा भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 489 सी तथा 120(8) के तहत आरोपी साबति कयिा जाता है।

न्यायिक प्रक्रिया में दोनों आरोपी हिरासत में हैं।

चार्जशीट पेश की जाती है

एसडी /-

पारसनाथ

एसएचओ पीएस विशेष कक्ष

लोधी कॉलोनी, नई दिल्ली

Signature of the Investigating officer
submitting the Final Report / Charge Sheet
Name:

फाइनल रिपोर्ट/ सप्लीमेंट्री चार्जशीट

(सीआरपीसी अधिनियम की धारा 173(2) के अंतर्गत)

Dist: परपरगंज, दिल्ली P.S: स्पेशल सेल Year: 2007

F.I.R. No: 18 Date: २३/३/२००७

Final Report/Charge-Sheet No: १९/२००७

Date: २६/७/२००७

Name address & occupation of complainant or informant:

Name and address of accused person sent up of trial: हिरासत में

1. जोगेन्दर सिंह, उर्फ जोगा

S/o सरदार बालू सिंह

R/o गंगा विहार, गोकुल धाम, दिल्ली

2. घनश्याम अरोरा

S/o माधव अरोरा

R/o रोहिणी, दिल्ली

3. गगनदीप सिंह

S/o सरदार किरण सिंह

R/o सिम्बाला मोरे जम्मू, जम्मू कशमीर

Property (including Names and weapons found with addressed of particulars of where witnesses when and by whom found and whether forwarded to Magistrate:

As per list

Charge of information:

I. २९, ६१, ८५ न•डी•पी•एस अधिनियम
II. २५, ५४, ५९ आयुध अधिनियम
III. ४८९B , ४८९C भारतीय दंड संहिता

Brief facts of the case are that:

आरोपी नंबर 3 की फोन पर हुई बातचीत को टैप करते दौरान एक पुलिस अधिकारी जो उसकी बातचीत को परख रहा था, उसने आरोपी नंबर 1 और 2 के बीच हुई बातचीत को ऊपरी तौर पर सुना जिससे यह पता लगता है कि वे किसी विदेशी नागरिक से एक संभावित ड्रग डील की बात कर रहे थे जो लगभग 7:30 बजे मदर डेयरी पांडव नगर पर होने वाली थी |

एसीपी साहब के निर्देश पर इंस्पेक्टर अनमोल दुरेजा ने एक टीम गठित की जिसमें एस.आई हरबीर सिंह, एस.आई रमेश शर्मा, एस.आई रणबीर सिंह, एस.आई किशन लाई, एच.सी सुरेश चंद, एच.सी रमेश कुमार, सि.टी अनिल कुमार, सी.टी अजय कुमार, सि.टी हवा सिंह, तथा सि.टी ओमप्रकाश मौजूद थे।

इंस्पेक्टर अनमोल दुरेजा के निर्देश में पुलिस टीम सरकारी जिप्सी नंबर DL-2b F436 जो कि एच.सी जगमल द्वारा चलाई जा रही थी, जेसमे वे घटना स्थल के लिए रवाना हुए।

रास्ते में 'आई मुकरबा चौक' पर एसआई हरबीर ने 2 - 3 राहगीरों को घटना की जानकारी दी और छापेमारी में शामिल होने के लिए कहा लेकिन वे इस छापे मैं शामिल नही होना चाहते थे।

पुलिस टीम मदरडेरी पहुंची।

एस.आई हरबीर ने फिर दो-तीन लोगों से टीम में जुड़ने के लिए पूछा किंतु सब अपने रास्ते, बिना कोई अता-पता बताए चले गए।

लगभग 7:30 बजे एक पल्सर मोटरसाइकिल नंबर DL- 5S-BY-2456, पटपड़गंज रोड, गणेश नगर चौराहे के पास स्थित एक सार्वजनिक शौचालय के पास रुकी।

मोटरसाइकिल जोगेन्दर सिंह –(S/o R/o) द्वारा चलाई जा रही थी।

उसके पास एक काले रंग का बस्ता था जो कि उसने अपने कंधों पर लिया हुआ था, उस बस्ते में से उसने एक काली थैलि निकाली और अपने पीछे बैठे घनशाम अरोरा–(S/o R/o) के हाथ में दी।

जोगेन्दर सिंह मोटरसाइकिल के पास ही थे और घनशाम अरोरा गणेश नगर चौराहे पर खड़े थे।

एस.आई हरबीर सिंह ने सि.टी अजय कुमार की सहायता से घनशाम अरोरा को पकड़ा जिसके दाहिने हाथ में काली थैलि थी।

एस.आई हरबीर सिंह ने घनशाम अरोरा को इस संदर्भ में जानकारी दी और उसे एन.डी.पी.एस अधिनियम धारा 50 के तहत नोटिस दिया।

एस.आई हरबीर सिंह ने घनशाम अरोरा को यह जानकारी भी दी कि वे मजिस्ट्रेट या राजपत्रित अधिकारी के समक्ष तलासी ली जा सक्ती है। उसे यह भी बताया गया कि वह अपनी तलाशी से पहले खोजबीन कर रही पुलिस की भी तलाशी ले सकता है, परंतु घनशाम अरोरा ने नोटिस की कार्बन कॉपी नही ली। उसने किसी मजिस्ट्रेट या राजपत्रित अधिकारी के सामने उपस्थित होने से भी इनकार किया।

घनशाम अरोरा के पास जो काली थैलियां थी जिस पर " सीजी चॉइस गारमेंट्स एक्सक्लूसिव मेनल इयर स्टॉल नंबर 79, गफ्फार बाजार, करोल बाग, नई दिल्ली, दूरभाष: 2574 7812 " की नीले व पीले अक्षरों में छपाई थी, उसकी जांच की गई।

थैलि में दो पैकेट थे जो पीले रंग के टेप में लिपटे हुए थे।

इसके उपरांत एस.आई रमेश शर्मा तथा एच.सी राम कुमार ने जोगिंदर सिंह उर्फ जोगा (s/o) को हिरासत में लिया।

जोगिंदर सिंह उर्फ जोगा को एन.डी.पी.एस अधिनियम धारा 50 के संदर्भ में जानकारी दी और उसे धारा 50 के तहत नोटिस भी दिया। उसे यह जानकारी भी दी कि उसकी मजिस्ट्रेट या राजपत्रित अधिकारी के समक्ष तलाशी ली जा सक्ती है। उसे यह भी बताया गया कि वह अपनी तलाशी से पहले खोजबीन कर रही पुलिस की भी तलाशी ले सकता है, परंतु जोगिंदर सिंह ने नोटिस की कार्बन कॉपी नही ली। उसने किसी मजिस्ट्रेट या राजपत्रित अधिकारी के सामने उपस्थित होने से भी इनकार किया।

जोगिंदर सिंह की पीठ से एक काला बस्ता बरामद किया गया, वह जिस बाइक पर बैठ हुआ था उसके टंकी पर कालिस्तान ज़िंदाबाद फोर्स का निशान बना हुआ था। बस्ते को खोल कर उसकी जांच की गई। उसके अंदर दो पीले रंग के टेप से लिपटा हुए पैकेट थे। पैकेट के अंदर पिंडली रंग का पाउडर था जो कि जोगिंदर सिंह द्वारा हीरोइन बताया गया।

चारों पैकेट का वजन तोलयंत्र से तोला गया गया, प्रत्येक पैकेट का वजन 1 किलोग्राम था।

प्रत्येक पैकेट पर हल्के पिंडली रंग के पाउडर थे और चारों को अलग- अलग प्लास्टिक के पारदर्शी जार में रखा गया। नमूनों को क्रमांक एक से चार भी दिया गया।

उसके बाद एस.आई रमेश शर्मा ने जोगिंदर सिंह @ जोगा की सरसरी तलाशी ली और एक पिस्तौल बरामद की जोकि उसकी पेंट की बाईं ओर से प्राप्त हुई।

पिस्तौल को अलग करके चेक किया गया और 8 जिंदा कारतूस पिस्तौल की मैगजीन से प्राप्त किए गए। एस.आई कबीर सिंह ने बरामद पिस्तौल, मैगजीन और कारतूस का एक स्केच तैयार किया।

पिस्तौल पर एक " CAI -3D MOUSER AS CHINA BY NORINCON " का निशान था।

बरामद की गई पिस्तौल मैगजीन और कारतूस एक कपड़े के पुलिंदे में रखे गए। कपड़े के पुलिंदे को सील किया गया तथा एफ.एस.एल फॉर्म भी भरा गया ।

दोनों पैकेट से प 5 ग्राम हेरोइन सैंपल के रूप में निकाल दी गई थी और पारदर्शी प्लास्टिक के जार में रखी गई ।

बाकी बचे हुए हीरोइन को एक कपड़े के पुलिंदे में अलग से रखा गया और सील भी किया गया। बरामद किए गए काले बस्ते को भी कपड़े के पुलिंदे में रखकर सील किया गया। स्पेशल फॉर्म तत्काल स्थान पर भरा गया|

सभी सैंपल एफ.एस.एल फॉर्म जब्ती ज्ञापन के माध्यम से पुलिस के कब्जे में ले लिए गए। केस प्रॉपर्टी ,जब्ती ज्ञापन व एफ.एस.एल फॉर्म इंस्पेक्टर अनमोल दुरेजा के हवाले कर दिए गए ।

एसपी सोलंकी ने घनशाम अरोरा व जोगिंदर सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया।

दोनों आरोपियों की व्यक्तिगत खोज का आयोजन किया गया।

PERSONAL SEARCH:

₹1000 मूल्य वर्ग के 12 नोट जोगिंदर सिंह की व्यक्तिगत खोज में पाए गए।

₹1000 रुपए मूल्य वर्ग के 16 नोट घनशाम अरोरा की निजी तलाशी में बरामद किए गए।

उनकी प्रकृति करण विवरण के अनुसार बरामद मुद्रा के नोट नकली थे ।

मुद्रा नोट जब्ती ज्ञापन व एफ.एस.एल फॉर्म के जरिए जप्त किए गए।

ऐसा ही उपेश सोलंकी ने धारा 161 सी.आर.पीसी के तहत रिकॉर्ड किया। जांच के दौरान धारा 57 एन.डी.पी.सी एस के तहत रिपोर्ट वरिष्ठ अधिकारियों को भेजी गई।

जब्त मोटरसाइकिल ब्लैक पल्सर नंबर DL-5S-BY-2456 परिवहन प्राधिकरण के अनुसार गगनदीप सिंह के नाम पर पाई गई।

मोबाइल फोन नंबर

987****0613 (IMEI NO.3553610****5245), 999****9926 (IMEI NO. 3507001****8921) की कॉल डिटेल गगनदीप सिंह के पास से जब्त की गई अथवा मोबाइल नंबर 981****8172 , 97****6607 (IMEI NO. 35454001****62333), जोगिंदर सिंह से जब्त किया गया।

कॉल डिटेल बरामद होने से पता चलता है कि दोनों आरोपी लगातार एक दूसरे के संपर्क में थे।

इन मोबाइल नंबरों के कॉल डिटेल रिकॉर्ड को हाइलाइट किया गया।

DRUG REPORT

बरामद ड्रग्स के बारे में एफ.एस.एल रोहिणी से विशेषज्ञ राय प्राप्त की गई।

जोगिंदर सिंह से प्राप्त हुई ड्रग्स में उच्च प्रतिशत का डाईसेटी मौरफीन पाया गया, बरामद हथियार, गोला बारूद आर्म्स एक्ट 1959 में परिभाषित किया गया व बरामद करेंसी नोट नकली पाए गए।

जोगिंदर सिंह को 2 किलोग्राम हीरोइन व अवैध हथियार और नकली हिंदुस्तानी करेंसी रखने के तहत धारा 21, 29, 61, 68 एन.डी.पी.एस तथा धारा 25, 59, 498 (अपठनीय) शस्त्र अधिनियम के अंतर्गत चार्ज किया गया।

घनश्याम अरोड़ा को एनडीपीएस अधिनियम की धारा 21 और 29 तथा भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 489 सी तथा 120(8) के तहत चार्ज किया गया।

गगनदीप सिंह को एनडीपीएस अधिनियम की धारा 21 और 29 तथा भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 489 सी तथा 120(8) के तहत चार्ज किया गया।

यह विवेचना समाप्त की जाती है।

एसडी /-

पारसनाथ

एसएचओ पीएस विशेष कक्ष

लोधी कॉलोनी, नई दिल्ली

Signature of the Investigating officer
submitting the Final Report / Charge Sheet
Name:

The state   अपीलकर्ता

एसआई अनमोल दुरेजा द्वारा

1. जोगेन्दर सिंह, उर्फ जोगा

सुपुत्र सरदार बालू सिंह

निवासी गंगा विहार, गोकुल धाम, दिल्ली

2. गगनदीप सिंह

सुपुत्र सरदार किरण सिंह

निवासी सिम्बाला मोरे जम्मू, जम्मू कशमीर

3. घनश्याम अरोड़ा

सुपुत्र माधव अरोड़ा

निवासी रोहिणी, दिल्ली

..... उत्तरदाता

निर्णय

(एनडीपीएस/ट्रायल कोर्ट द्वारा दी गई सजा)

जोगिंदर सिंह उर्फ जोगा (आरोपी नंबर 1)(ए 1)(सी आर एल ए नंबर 527 - 2014 में अपील करता) को नारकोटिक्स ड्रग्स मनो दैहिक पदार्थ अधिनियम (एन डी पी एस) की धारा 21 (सी) और 29 तथा भारतीय दंड संहिता (आई पी सी) की धारा 489 (सी) और 120 (बी) अथवा शस्त्र अधिनियम की धारा 25 के तहत व आरोपी नंबर 2 गगनदीप सिंह (ए 2) (सी आर एल ए नंबर 529 - 2014) को नारकोटिक्स ड्रग्स मनो दैहिक पदार्थ अधिनियम (एन डी पी एस) की धारा 21 (सी) और 29 तथा भारतीय दंड संहिता (आई पी सी) की धारा 489 (सी) और 120 (बी)

आरोपी नंबर 1/जोगिंदर सिंह उर्फ जोगा:
एनडीपीएस अधिनियम की धारा 21 और 29 के तहत प्रत्येक अपराध के लिए 1.5 लाख रुपये के जुर्माने के साथ बारह साल का कठोर कारावास।
भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 489-सी और 120-बी के तहत प्रत्येक अपराध के लिए छह महीने के लिए साधारण कारावास और 10,000 रुपए के जुर्माने के साथ तीन साल के कारावास और डिफ़ॉल्ट रूप से एक महीने के लिए साधारण कारावास से गुजरना पड़ता है।
शस्त्र अधिनियम (आर्म्स एक्ट) की धारा 25 के तहत अपराध के लिए 7 साल का कठोर कारावास और 50,000 रुपए का जुर्माना तथा डिफॉल्ट रूप से तीन महीने के लिए साधारण कारावास से गुजरना पड़ता है।

आरोपी नंबर 2 गगनदीप सिंह :
एनडीपीएस अधिनियम की धारा 21 और 29 के तहत प्रत्येक अपराध के लिए 10 साल का कठोर कारावास तथा ₹100000 का जुर्माना और 3 महीने का डिफॉल्ट कारावास गुजारना पड़ता है।
भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 489 सी और 120 बी के तहत 3 साल का कठोर कारावास तथा ₹10000 का जुर्माना अथवा डिफ़ॉल्ट रूप से 1 महीने का साधारण कारावास गुजारना पड़ता है।

आरोपी नंबर 3 घनश्याम अरोड़ा:
एनडीपीएस अधिनियम की धारा 21 और 29 के तहत प्रत्येक अपराध के लिए 15 साल का कठोर कारावास तथा ₹1,00,000 का जुर्माना और 3 महीने का डिफॉल्ट कारावास गुजारना पड़ता है।
भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 489 सी और 120 बी के तहत 3 साल का कठोर कारावास तथा ₹10000 का जुर्माना अथवा डिफ़ॉल्ट रूप से 1 महीने का साधारण कारावास गुजारना पड़ता है।

1. ए–3. के खिलाफ केस

जहां तक ए–3 सुखविंदर सिंह उर्फ सुखी (2014 के सीआरआईए नंबर 607 में अपीलकर्ता) का मामला है, उनके खिलाफ अभियोजन का पूरा मामला इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड पर आधारित है। अभियोजन पक्ष का मामला जिसे स्वीकार कर लिया गया था – ट्रायल कोर्ट में यह था कि कॉल डिटेल और इंटरसेप्ट की गई बातचीत के टेप से पता चलता है कि ए –1 और ए –2 एक दूसरे के साथ–साथ ए –3 के लगातार संपर्क में थे। ट्रायल कोर्ट अनवर पी वी बनाम प के बशीर २०१४ के फैसले के दिशानिर्देश को सही ठहराने में सक्षम नहीं था, इसलिए हमें दूसरे सबूत के रूप में इंटरसेप्टेड फोन कॉल्स के ट्रांसक्रिप्ट को देखने की जरूरत पड़ी। यहां पहले बताए गए कारणों के लिए, अनवर पी.वी. में निर्णय के बाद इसकी अनुमति नहीं है। इस तरह के इंटरसेप्टेड कॉल्स के ट्रांसक्रिप्ट को भी नहीं देखा जा सकता है। इसलिए, जहां तक ए–3 सुखविंदर का संबंध है, पूरे इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को ध्यान से बाहर रखा जाना है। इस बात में कोई विवाद नहीं है कि जहां तक बात है, उसके पास दोनों आरोपियों से जुड़ने का कोई अन्य सबूत नहीं है। इसलिए उन पर लगे आरोपों को कायम नहीं रखा जा सकता।

2. 2. ए–1 और ए–2 . के खिलाफ केस

इलेक्ट्रॉनिक सबूतों पर ज़्यादा जोर डाला गया

ट्रायल कोर्ट के फैसले के अवलोकन से पता चलता है कि दूरभाष पर व्यापक निर्भरता रखी गई है जो पुलिस द्वारा पूरक आरोप पत्र के साथ पेश किए गए थे। यदि सभी साक्ष्यों को बाहर कर दिया जाता है, तो ऐसा प्रतीत होता है कि शेष साक्ष्यों पर निचली अदालत का निर्णय सर्वोत्तम सट्टा है।

धारा 42 एनडीपीएस का अनुपालन

अनुपालन इस तथ्य के कारण संदेह में डाल दिया गया है कि पूरक आरोप पत्र में अभियोजन पक्ष इस सिद्धांत के साथ आया है कि ए–1 और ए–2 जो नशीले पदार्थ किसे विदेशी व्यति को अवैध रूप से दिया जाने वाला था वह पुलिस को पता तब चल गया था जब वह गगनदीप का फ़ोन टैप कर रहे थे। इसकी जानकारी पहली चार्जशीट मैं नही थी।

एनडीपीएस की धारा 50 का अनुपालन न करना

अभियोजन पक्ष का मामला है कि दोनों की तलाशी से पहले नोटिस जारी कर एनडीपीएस अधिनियम की धारा 50 का विधिवत पालन किया गया था, यह दोनों आरोपियों द्वारा गंभीर रूप से विवादित रहा है। धारा 50 एनडीपीएस अधिनियम की अनिवार्य आवश्यकता के संबंध में उस प्रावधान का पालन करने में विफलता 70

अवैध वस्तुओं की वसूली को संदिग्ध बनाती है और इस तरह की वसूली के आधार पर "दोषसिद्धि को नष्ट करती है"। इसी संदर्भ में ए-1 की यह दलील कि धारा 50 नोटिस पर उसके हस्ताक्षर और जब्ती ज्ञापन आदि जैसे अन्य दस्तावेज जाली थे, महत्वपूर्ण हो जाता है।

<u>हस्तलेखन विशेषज्ञ के असंतोषजनक साक्ष्य</u>

जब उनसे एपीपी ने सवाल किया कि क्या एक संभावना थी कि पूछताछ किए गए दस्तावेज लेखक द्वारा जानबूझ कर लिखे गए है, उन्होंने उत्तर दिया "प्रश्नित हस्ताक्षर से यह आकलन नहीं किया जा सकता है कि ये जानबूझकर विकृत किए गए हैं।" हस्तलेखन विशेषज्ञ के साक्ष्य को पढ़ने पर, ए-1 द्वारा लिए गए बचाव को खारिज करना संभव नहीं है कि जब्ती ज्ञापन और वसूली ज्ञापन पर हस्ताक्षर उसके नहीं थे। अदालत ने जोर देकर कहा कि इससे अभियोजन पक्ष को यह दिखाने से राहत नहीं मिली कि अन्य दस्तावेजों पर हस्ताक्षर, जब्ती ज्ञापन, वसूली ज्ञापन और निरीक्षण ज्ञापन आदि ए-1 के थे। इस संदर्भ में, 'अभियुक्तों का यह तर्क कि हिरासत में रहते हुए उन्हें यातना दी गई थी, महत्वपूर्ण हो जाता है ।

<u>ए-1 और ए-2 की यातना के साक्ष्य</u>

हिरासत में रहते हुए ए-1 और ए-2 दोनों की यातना के पहलू पर, ट्रायल कोर्ट उस संबंध में सबूतों की सराहना करने में विफल रहा। इस मामले में हालांकि, सीआरपीसी की धारा 311 के तहत अपने बयान में यह दलील देने के अलावा कि उन्हें पुलिस हिरासत में प्रताड़ित किया गया था, उन्होंने तिहाड़ जेल (डीडब्ल्यू -1) में एक बचाव पक्ष के गवाह डॉ आनंद कुमार, चिकित्सा अधिकारी को भी पेश किया। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा "जांच करने पर, पीठ के बाईं ओर पैटर्न के घाव पाए गए और उन्हें दर्द के लिए दवा दी गई। एपीपी द्वारा 'डीडब्ल्यू -1और डीडब्ल्यू -5 की जिरह में कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं पाया गया ताकि बदनाम किया जा सके। न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि ए-1 और ए-2 दोनों ने पुलिस हिरासत में प्रताड़ित किए जाने की वजह से उनकी गवाही पूरी तरह नही मानी जा सकती ।

गिरफ्तारी के स्थान के संबंध में पीडब्लू के साक्ष्य में विरोधाभास

अभियोजन पक्ष के अनुसार दोनों आरोपियों को तब रोका गया जब वे गणेश नगर चौराहे के पास सार्वजनिक शौचालय के बाहर थे। इसका मतलब यह हुआ कि वे लक्ष्मी नगर की तरफ से आए थे। हालांकि, किसी भी गवाह ने इस पहलू पर एक स्वर में बात नहीं की थी। यह बताया गया है कि अनिल दुरेजा (पीडब्ल्यू–16) ने अपनी जिरह में कहा कि पुलिस कर्मियों की तैनाती दोनों तरफ मदर डेयरी के पास थी। मदर डेयरी पर 10-15 मीटर के दायरे में पुलिस कर्मी तैनात रहे तो साफ है कि वे उस जगह पर नहीं थे जहां दोनों आरोपी थे. वहीं पीडब्लू–10 ने बताया कि उसने मदर डेयरी के पास 'गोल चक्कर' के पास पोजिशन ले ली थी। वास्तव में पुल से 50 मीटर के दायरे में कोई गोल चक्कर नहीं था। उस स्थान पर कोई गोल चक्कर नहीं है। अभियोजन पक्ष द्वारा दायर साइट प्लान में कोई गोल चक्कर नहीं दिखता है।

वसूली संदिग्ध

नकली मुद्रा

अभियुक्त की व्यक्तिगत तलाशी से तीन चीजें यानी नकली नोट, मोबाइल फोन और पिस्टल और जिंदा कारतूस बरामद करने के संबंध में, जब्ती और वसूली ज्ञापन को अभियोजन पक्ष द्वारा उचित संदेह से परे साबित करना था। उक्त दस्तावेजों पर हस्ताक्षर उचित संदेह से परे साबित नहीं होने के कारण अभियोजन यह स्थापित करने में असमर्थ रहा है कि बरामदगी संकेतित तरीके से हुई थी या नहीं।

PW-17 यह समझाने में विफल रहता है कि 'वह कैसे जानता था कि 27,000/- रुपये जो उसने वहाँ से लिए थे, नकली मुद्रा नोट थे और शेष राशि नकली थी। जबकि ए–3 से जब्त किया गया एक मोबाइल फोन उसी का था, अभियोजन पक्ष ए–1 और ए–2 से बरामद मोबाइल फोन को उनसे जोड़ने में विफल रहा। न्यायालय को ऐसा प्रतीत होता है कि ट्रायल कोर्ट अनिवार्य रूप से इंटरसेप्ट की गई बातचीतों और उन वार्तालापों के टेप के आधार पर आगे बढ़ा और इसलिए इस पर ध्यान नहीं दिया गया।

मोटरसाइकिल की चाबी नहीं मिली

यह देखा गया है कि ट्रायल कोर्ट ने ए–2 के सबूतों को खारिज कर दिया कि मोटरसाइकिल को पार्किंग से जब्त कर लिया गया था। यह नोट किया गया कि उनकी जमानत अर्जी में ए–2 ने धारा 313 सीआरपीसी के तहत अपने बयान में जो कहा था, उससे अलग रुख अपनाया इन दलीलों को विपरीत पाते हुए, ट्रायल कोर्ट ने उनके

खिलाफ प्रतिकूल निष्कर्ष निकाला। न्यायालय ने ट्रायल कोर्ट के इस दृष्टिकोण को एक आपराधिक मामले में अपनाने के लिए असुरक्षित माना, जहां एक आरोपी के पास आत्म–अपराध के खिलाफ मौलिक अधिकार है। यह कहने के अलावा कि संभवत: इसे आरोपी ने फेंक दिया था, ऐसा प्रतीत होता है कि अवरोधन के स्थान के पास से चाबी बरामद करने के लिए कोई प्रयास नहीं किया गया था।

निष्कर्ष

उपरोक्त पहलुओं में से प्रत्येक पर जब अलग से विचार किया जाता है तो अभियोजन पक्ष के मामले के बारे में संदेह पैदा करने के लिए अपने आप में पर्याप्त नहीं है, लेकिन जब समग्र रूप से देखा जाता है, तो अभियोजन पक्ष के साक्ष्य को अभियुक्त की बेगुनाही के साथ असंगत नहीं कहा जा सकता है और स्पष्ट रूप से उनके अनजाने में किए अपराध की ओर इशारा करता है। दूसरे शब्दों में, अभियोजन साक्ष्य, जब सामूहिक रूप से देखा जाता है, एक उचित संदेह से अधिक को जन्म देता है और उस संदेह का लाभ अभियुक्त के पक्ष में सुनिश्चित होना चाहिए।

स्टेट ओफ़ एन.सी.टी ओफ़ दिल्ली

बनाम

जोगिन्दर सिंह और अन्य

याचिकाकर्ता पक्ष राज्य का प्रतिनिधित्व करेगा और प्रतिवादी जोगिंदर सिंह और अन्य का प्रतिनिधित्व करेगा।

उक्त घटनाक्रम के पश्चात ये प्रबल सवाल उठते है :

प्रश्न 1.) क्या माननीय उच्च न्यायालय प्रतिवादी/अभियुक्तों को एनडीपीएस, आईपीसी और आर्स एक्ट के तहत बरी करना उचित था?

प्रश्न 2.) क्या उपयुक्त निर्णय में विधि के प्रश्नों पर न्याय संगत निर्णय किया गया है? क्या माननीय उच्च न्यायालय द्वारा नए सबूतों को नजरअंदाज करना न्याय संगत है?

प्रश्न 3.) क्या उपयुक्त निर्णय धारणाओं और अनुमानों पर आधारित नहीं है?

प्रश्न 4.) क्या माननीय उच्च न्यायालय द्वारा टेली कन्वर्सेशन के साक्ष्यों को नजरअंदाज करना संविधानिक है ?

प्रश्न 5.) क्या माननीय उच्च न्यायालय उक्त तकनीकी और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों को अलग करके आक्षेपित आदेश पारित करने में सही है, यह साक्ष्य अधिनियम की धारा 65बी के तहत प्रमाण पत्र द्वारा समर्थित नहीं है?